

मुन्तकिली प्रकरण सं० 13/2016 अनवानी 1-हासम खां 2- दारीखां 3-मजनू
खां 4- मुस्ताक खां पि० रामू खां जाति मुसलमान नि० उदयपुर तह० सूरतगढ़
बनाम 1-रामचन्द्र पोटलीया उपखण्ड अधि. सूरतगढ़ 2- मोहम्मद असरफ
3-तुफेल खां 4-फैजू खां 5-कुरशेद पुत्रगझा 6-सदीक 7-रेशमा 8-कुरेशा
9-कुरशेदा 10-मकसूदा 11- सुकरी पुत्रीया गुलाम खां जाति मुसलमान नि०
उदयपुर तह० सूरतगढ़ 12-मु. सुलोचना 15-मु. हुकमीदेवी 14-किशनाराम
15-ओमप्रकाश 16-महावीर 17-प्रबन्धक इलाहाबाद बैंक शाख सूरतगढ़ आदि

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

21.09.2016

प्रार्थीगण के अभिभाषक श्री विक्रम बिश्नोई उपस्थित है। अप्रार्थी सं० 2 ता 11
के अभिभाषक श्री बलराम स्वामी उपस्थित है। पक्षकारान के अभिभाषकगण को सुना
गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अप्रार्थीगण सं० 2ता11 के अभिभाषक का कथन है कि प्राथीगण द्वारा न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ में लंबित वाद संख्या 108/2011 अनवानी मोहम्मद
असरफ वगैरा बनाम हासम खां वगैरा में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण
अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली प्रा० पत्र अन्तर्गत
धारा 235 राज० काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है। चूंकि तत्कालीन
उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह
मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः यह मुन्तकिली प्रा०
पत्र इसी आधार पर खारिज किया जावे।

प्रार्थीगण के अभिभाषक को भी उक्त आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज
किये जाने पर कोई आपति नहीं है।

मैंने दोनो पक्षो की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो
पाया कि प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ में लंबित वाद संख्या
108/2011 अनवानी मोहम्मद असरफ वगैरा बनाम हासम खां वगैरा में निष्पक्ष न्याय न
मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह
मुन्तकिली प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 235 राज० काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया
है। चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है।
इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। पक्षकारान के
अभिभाषकगण को भी उक्त आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर
कोई आपति नहीं है। अतः मुन्तकिली प्रा० पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण
खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात
फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी,
सूरतगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे। यह पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल
दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 21.09.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय
में सुनाया गया।

(पी. सी. किशन)

जिला कलेक्टर

श्रीगंगानगर

665
26-9-16